भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 392 का उत्तर

रेलवे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय

392. श्री एम. के. राघवन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कालीकट रेलवे स्टेशन के विकास की स्थिति के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कार्यों के पूरा होने की संभावित तारीख क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि बड़ी संख्या में रेलवे अंडरपास, जैसे कि नल लूर के फिरोके में स्थित अंडरपास बंद कर दिए गए हैं जिससे बड़ी संख्या में दैनिक यात्री प्रभावित हो रहे हैं और यदि हां, तो यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे में ट्रैकमैनों हेतु रक्षक के उपयोग जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो देश में रेलवे के इन महत्वपूर्ण कर्मियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश भर में कार्य के दौरान रेल दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान गंवाने वाले रेल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेलवे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री एम. के. राघवन के अतारांकित प्रश्न सं. 392 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल के स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए केरल राज्य में आने वाले कोझीकोड (कालीकट) रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है।

इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता और रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकतानुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, भूदृश्य निर्माण आदि को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में लंबी अवधि के दौरान स्टेशन भवन में सुधार, रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था, आवश्यकता के अनुसार, चरणबद्ध रूप से एवं यथा व्यवहार्यता 'रूफ प्लाजा', और रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टर्स के निर्माण की संकल्पना की गई है।

कोझिकोड रेलवे स्टेशन के पुर्नविकास निविदा आबंटित कर दी गई है और निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुर्नविकास/उन्नयन जटिल स्वरूप का होता है जिसमें रेलगाड़ियों और यात्रियों की संरक्षा अंतर्ग्रस्त होती है और विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों जैसे दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति का कार्य ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों जैसे अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को

स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं); अतिलंघन, अतिक्रमण, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन; उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि के कारण भी प्रभावित होता है और ये कारक कार्य के समापन के समय को प्रभावित करते हैं। अत: इस स्तर पर कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

(ख) जलमार्ग उपयोग के लिए निर्दिष्ट कुछ पुलों का उपयोग पैदल यात्री/वाहन यातायात द्वारा अंडरपास के रूप में रेलपथ पार करने के लिए किया जाता है। जलमार्ग पुल की सुरक्षा और सड़क उपयोगकर्ता/पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए तकनीकी कारणों से सड़क/पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए जलमार्ग पुल खोलने की अनुमति नहीं है। जल-मार्ग पुल को रेलवे लाइनों के तटबंध/पुल की सुरक्षा को प्रभावित किए बिना बाढ़ के पानी की निकासी के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

बहरहाल, अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के स्थान/संभावित स्थान जैसे आपवादिक मामलों में जहां गाड़ी परिचालनों में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता और अवसंरचनाओं की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, वहाँ व्यवहार्यता और प्राथमिकता के आधार पर निकटवर्ती उपयुक्त स्थान पर भूमिगत पैदल पथ/उपरि पैदल पुल उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(ग) और (घ): रेलपथ अनुरक्षकों की संरक्षा के लिए निम्नलिखित पद्दतियों का नियमित रूप से पालन किया जाता है।

1. रेलपथ पर उसके नजदीक कार्य करते समय "सर्वप्रथम व्यक्तिगत संरक्षा" के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा तथा सेमिनारों/कार्यशालाओं के माध्यम से नियमित रूप से काउंसलिंग की जाती है।

2. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात रेलपथ अनुरक्षकों को चमकदार जैकेट, सुरक्षा हेलमेट, माइनर लाइट/ट्राई-कलर टॉर्च, सुरक्षा जूते और हल्के वजन वाले उन्नत उपकरण और उपस्कर प्रदान किए गए हैं।

3. आने वाली गाड़ी पर नजर रखने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, लुकआउट मैन भी तैनात किए जाते हैं।

4. कीमैन की फिटनेस का पता लगाने के लिए समय-समय पर चिकित्सा जांच की जाती है।

(ड.): भारतीय रेल में ऐसे रेल सेवकों जो ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं या सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या चिकित्सकीय रूप से अक्षम/दिकोटिकृत हो जाते हैं, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए नियम और शर्तें पूरा करने के अध्यधीन नियुक्त करने की योजना है।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों (पीयू) के महाप्रबंधकों को ड्यूटी के निर्वहन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में रेल कर्मचारियों के परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह राशि मंजूर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

*****